न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

प्र.क्र. निग/ /2016

रतनलाल पुत्र जगन्नाथ
जाति बैरवा, निवासी ग्राम
मायापुर तह.व जिला श्योपुर(म.प्र.)

.....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) मदन पुत्र हरचंदी जाति सहर
निवासी ग्राम मायापुर
तह. व जिला– श्योपुर (म.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर

.....अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 25/09–10/170 ख आदेश दिनांक 28/03/2011 से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :– निगरानीकर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 167/रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर में स्थित है उक्त वादित भूमि को प्राथी के द्वारा ही कृषि कार्य करने हेतु उपयुक्त बनाया गया है उक्त वादित भूमि पूर्व में मदन पुत्र हरचंदी जाति सहर निवासी ग्राम मायापुर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जिसे आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 05/94–95/अ–86 आदेश दिनांक 30/01/1995 को निरस्त करवाया गया था तदुपरान्त आवेदक द्वारा वादित भूमि के व्यवस्थापन हेतु तहसीलदार महोदय श्योपुर वृत गोरस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे तहसील न्यायालय ने अपने प्रकरण क्रमांक 22/94–95/अ–86 पर दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की तथा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपने आदेश दिनांक 15/09/1995 से आवेदक के पक्ष में वादित भूमि का व्यवस्थापन किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया। इसके बाद लगभग 16 वर्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1494/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 25/09–10/170ख में पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 167 रकवा 8 बीघा 19 विस्वा ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर में स्थित है। उक्त भूमि को आवेदक द्वारा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त बनाया गया है तथा उक्त भूमि पूर्व में मदन पुत्र हरचन्दी सहर निवासी मायापुर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थे। जिसे अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 05/1994–95/अ–86 आदेश दिनांक 30.01.1995 को निरस्त करवाया गया था। तद्उपरान्त आवेदक द्वारा उक्त भूमि के व्यवस्थापन हेतु तहसीलदार श्योपुर वृत गोरस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/1994–95/अ–86 पर दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तथा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर आदेश दिनांक 15.09.1995 से आवेदक के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन किये जाने का आदेश पारित किया। इसके बाद लगभग 16 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/09–10/170ख में पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 से आवेदक	

के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को तहसीलदार श्योपुर वृत गोरस के द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये अपने प्रकरण क्रमांक 22/1994–95/अ–86 से भूमि का व्यवस्थापन पारित आदेश दिनांक 15.09.1995 से किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में नहीं किया था। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5– अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक अनिल कुमार गुप्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं प्रक्रिया का विधिवत् पालन करते हुये अपना आदेश नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया है। अतः ऐसे विधिवत् आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण नहीं है अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, निगरानी के साथ धारा 48 का आवेदन पत्र एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी उन्हे दिनांक 04.05.2016 को उस समय हुयी जब मौजा पटवारी भूमि का सीमांकन करने आवेदक के खेत पर पहुॅचे तत्पश्चात् नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 48 के आवेदन के साथ वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जिसे प्रस्तुत करने में हुयी देरी सद्भाविक प्रतीत होने से आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते है। जहाॅ तक प्रकरण के गुण दोषो का प्रश्न है तो प्रकरण में तहसीलदार श्योपुर वृत गोसर द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये आदेश दिनांक 15.09.1995 पारित किया है। जिसे अपास्त किये जाने के संबंध में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश अंतिम हो गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 28.03. 2011 पारित किया है यह आदेश अत्यधिक समय व्यतीत होने के बाद पारित किया गया है लगभग 16 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया है। जो अत्यधिक विलंबित होने से विधिवत् नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि पर विकास कार्य कर भूमि को कृषि हेतु उपयुक्त बना लिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिक समय पश्चात् बिना किसी कारण के आवेदक के विरूद्व जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत् एवं

उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभगीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/09–10/170ख में पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार श्योपुर वृत गोरस द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/1994–95/अ–86 में पारित आदेश दिनांक 15.09.1995 यथावत् रखते हुये राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम पूर्वानुसार ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 167 रकवा 8 बीघा 19 विस्वा पर पृविष्टी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है।

सदस्य